न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 501/2024

वाद पत्र अ. धारा 88 आरटीए

बलकरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एमएमके (संगत वाली ढाणी) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

––वादी

बनाम्

1. हरदेव सिंह पुत्र केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी पट्टी दिआला (अलीके) तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
2. सुखदेव कौर पत्नी गुरभगत सिंह पुत्री केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी लहरा धुलकोट तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. जसविन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
4. रमनदीप कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री हरबंश सिंह झोरड़–वकील वादी
2. श्री कैलाश सिंवल–वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

दावा बाबत घोषणा

1. वादी बलकरण सिंह ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिंनाक 23.08.2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एंव प्रतिवादीगण का पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक मे अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी के भुआ केलो कौर की पुत्र व पुत्री है। केलो कौर की मृत्यु हो चुकी है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की सगी बहिन है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता बलवीर सिंह की मृत्यु हो [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता बलवीर सिं[illegible] एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070–73 मे 1/5 हिस्सा अ[illegible] 0.5388 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। [illegible] प्रतिवादी सं. 3 व 4 की भुआ तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता केलो कौर के नाम से चक 13 एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070–2073 में 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.5388 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी माता केलो कौर के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kur
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कृषि भूमि में से 0.221 है. कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः वादी केलो कौर के हिस्सा में से 0.221 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपने पिता बलवीर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है, अब प्रतिवादी सं. 3 व 4 वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित अपने पिता के नाम कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नही रखना चाहती है। अतः वादी प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से अलग अलग निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के वाद पत्र की चरण सं. 4 व 5 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 13 एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070-2073 की प्रति पेश हुई। बलवीर सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वाद पत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 13 एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070-2073 वादी के पिता एवं बुआ यानि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी की बुआ के पुत्र/पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की सगी बहिने है। चूंकि वाद में स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हो चुका है इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादी द्वारा घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सम्बन्धित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादी जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:16 IS
Reason: SelfAttested

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि चक नं. 13 एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070-2073 में केलो कौर के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1/5 हिस्सा अर्थात् 0.5388 है. कृषि भूमि में से 0.221 है. कृषि भूमि का वादी बलकरण सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर केलो कौर का हिस्सा कम किया जाये तथा वादी व प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 के पिता बलवीर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बलवीर सिंह का नाम इस खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावें।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X.... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......X.........को अदा करे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिंनाक 3.9.2024........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रकिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 501/2024

बलकरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एमएमके (संगत वाली ढाणी) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

--वादी

बनाम्

1. हरदेव सिंह पुत्र केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी पटटी दिआला (अलीके) तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
2. सुखदेव कौर पत्नी गुरभगत सिंह पुत्री केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी लहरा धुलकोट तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. जसविन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
4. रमनदीप कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आरटीए

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरबंश सिंह झोरड़ अभिभाषक वादी मिन जामिन मुद्दई कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक नं. 13 एसबीएन के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070-2073 में केलो कौर के 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.5388 है. कृषि भूमि में से 0.221 है. कृषि भूमि का वादी बलकरण सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर केलो कौर का हिस्सा कम किया जाये तथा वादी व प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 के पिता बलवीर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बलवीर सिंह का नाम इस खाता से कलमजन किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:16 I
Reason: SelfAttested

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी